

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
राज्य स्तरीय नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) आयोग

(नियुक्ति हेतु विज्ञापन)

विज्ञापन क्रमांक: एफ.001()एस.एल.सी.(अ.मं.)/एल.एस.जी./2013/

जयपुर, दिनांक: _____

राज्य की विभिन्न नगर निकायों में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक, निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

(1) पदों का विवरण :-

कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) पदों की रिक्तियों की संख्या वर्तमान में 148 है जिसमें 350 पदों तक की वृद्धि होना संभावित है।

नोट:-

- विज्ञापित रिक्त पदों में आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार/नवीनतम प्रावधानुसार होगा।
- **जाति प्रमाण पत्र :-** राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
 - अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र अर्थात् आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि से छः माह पूर्व तक की अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें क्रीमिलेयर/नॉन क्रीमिलेयर की स्थिति स्पष्टतः अंकित होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता/माता के नाम/निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - **पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की** विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी **नॉन-क्रीमी लेयर का नवीनतम** प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा **तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं।** पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उसके पिता के नाम से जारी प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ इस वर्ग के लाभ हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।
- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

- निःशक्तजन के लिए दर्शाए गये आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा तथा नियम 5(4) के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण के, पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाएगा ।

2) अर्हता

- आवेदनकर्ता भारत का नागरिक हो ।
- शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता : सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 प्रतिशत प्राप्तांक सहित 3 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) इंजीनियरिंग की योग्यताधारक ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग अभ्यर्थियों को निर्धारित प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी ।

स्पष्टीकरण:—यह स्पष्ट किया जाता है कि वे ही अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक निर्धारित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त कर ली हो। दस्तावेज सत्यापन के समय पर ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा भरी गयी शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य जानकारी के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रत्याशी इस पद के लिए उम्मीदवारी के योग्य नहीं माना जायेगा ।

3) आयु:—

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2014 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष हो। नियमानुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी ।

उक्त पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगी:—

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुषअभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
- सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
- भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।
- विधवाओं और विछिन्न—विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी ।
 - **स्पष्टीकरण :** विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह की डिक्री/न्यायिक सबूत प्रस्तुत करना होगा ।

- राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम, 2000 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष, पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट होगी ।
- उपरोक्त आयु संबंधी वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित किसी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा । एक से अधिक प्रावधानों में विहित छूट जोड़कर छूट का लाभ देय नहीं होगा ।

4) नियुक्ति के लिये अयोग्यता:-

- किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
- किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
- किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट,1961 (सेन्ट्रल एक्ट,28 ऑफ 1961) में है।
- राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है,इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे।
- ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती:-
परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
- कोई भी ऐसा पुरुष या ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिनके तीन से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि पत्नी/पति ने नसबन्दी नहीं करवा ली हो या महिला अभ्यर्थी के मामले में उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो:
परन्तु किसी पुरुष या महिला विवाहित अभ्यर्थी को, जिसके पिछले 10 वर्ष से कोई संतान नहीं हुई, इस उप-नियम के प्रवर्तन से छूट होगी।

स्पष्टीकरण –

- (i) उक्त संतानों की गणना के अन्तर्गत गोद ली गयी संतान या सौतेली संतान भी आती है, और
- (ii) उक्त के संबंध में छूट या दावा करने के लिए अभ्यर्थी को इस आशय का कि उसकी सबसे छोटी संतान की आयु 10 वर्ष से अत्यून है या तो एक प्रमाण पत्र किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक से या शपथ पत्र पेश करना होगा।

5) पारिश्रमिक/वेतन :- चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रथम दो वर्ष के लिए परीवीक्षा प्रशिक्षणकाल में नियत पारिश्रमिक (फिक्स्ड) रूपये 10,000/-मासिक देय होगा। परीवीक्षा काल में संतोषजनक सेवा रहने पर तदोपरान्त नियमित वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 9300-34800 ग्रेड पे 3200 देय होगी।

6) आवेदन शुल्क-

- (1) सामान्य आवेदक हेतु (जिसमें पि.व./वि.पि.व. किमीलेयर के आवेदक व अधोवर्णित श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के आवेदक सम्मिलित हैं) – रू. 250/-
- (2) पिछड़े वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के नोन किमीलेयर के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं, हेतु – रू. 250/-
- (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं— रू. 125/-
- (4) निःशक्तजन श्रेणी के समस्त आवेदक (जिसमें अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व./सामान्य सभी श्रेणी के निःशक्त जन सम्मिलित हैं) के आवेदकों हेतु – रू. 125/-

7) आवेदन पत्र भरने एवं जमा कराने की अंतिम तिथि-

- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने हैं। कोई भी आवेदक इस हेतु विकसित वेबसाईट <http://oasis.rkcl.in/dlb> पर निम्न विधि से निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र 05 अप्रैल 2013 सांय 5.00 बजे से 30 अप्रैल 2013 रात्रि 11.00 बजकर 59 मिनट तक भरे जा सकते हैं और इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक को आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति **भारतीय डाक (केवल रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट)** के माध्यम से 07 मई 2013 को सांय 6.00 बजे तक राजस्थान नॉलेज कोरपोरेशन लिमिटेड, 7ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 तक पहुँचाना अनिवार्य है। **अन्य माध्यम द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।**

निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

8) आवेदन कैसे करें:-

ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया :-

- a. आवेदकों से आग्रह है कि वे 05 अप्रैल 2013 सांय 5.00 बजे बाद वेबसाइट (<http://oasis.rkcl.in/dlb>) पर जाकर पद से संबंधित समस्त जानकारीयां जैसे आवेदन शुल्क, पात्रता, पदों की संख्या तथा शपथ पत्र का प्रारूप, इत्यादि की जानकारी प्राप्त करें ।
- b. आवेदक एप्लाई ऑनलाइन (Apply Online) लिंक पर क्लिक कर स्वयं की समस्त व्यक्तिगत जानकारी भरेगा । तत्पश्चात प्रत्येक आवेदक को लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिलेगा । जिसे आवेदक को भविष्य के संदर्भ (यथा परमीशन लेटर का प्रिन्ट आउट लेने तथा आवेदन की स्थिति जानकारी प्राप्त करने) हेतु अपने पास सुरक्षित रखना होगा ।
- c. आवेदक को आवेदन, परीक्षा प्रवेश सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित की जा सकती हैं अतः ऑनलाइन आवेदन में अपना सही मोबाइल नंबर दर्ज करें ।
- d. आवेदक पुनः वेबसाइट पर लॉग इन आईडी (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) की सहायता से वेबसाइट पर लॉग इन (Login) कर अपनी शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, डिमाण्ड ड्राफ्ट और अन्य आवश्यक सूचनाएं भरेगा ।
- e. आवेदक स्वयं की नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज की फोटो और हस्ताक्षर को स्कैन कर "JPG" प्रारूप में अपलोड करेगा ।
- f. आवेदक पूर्ण रूप से भरे ऑन लाइन आवेदन पत्र का "A-4"साईज के कागज पर प्रिंट लेगा ।
- g. आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार विज्ञापन में यथा निर्दिष्ट आवेदन शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (D.D.) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से "राजस्थान नॉलेज कोरपोरेशन लिमिटेड" या "R.K.C.L" के नाम से जयपुर पर देय होगा, बनवायेगा ।
- h. आवेदक डिमाण्ड ड्राफ्ट के पृष्ठभाग पर सुस्पष्ट अक्षरों में अपने आवेदन पत्र क्रमांक, पूरा नाम, सम्पर्क करने के लिए मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर अवश्य लिखेगा ।
- i. आवेदक उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में रू0 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनवाकर नोटेरी से सत्यापित करवायेगा ।
- j. आवेदक "A-4" के लिफाफे में निम्न दस्तावेज संलग्न करेगा :-
 - I आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ।
 - II आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट ।
 - III शपथ पत्र ।

आवेदक, आवेदन पत्र के साथ उपर्युक्त दस्तावेज संलग्न कर लिफाफे पर उपयुक्त डाक शुल्क चिपका कर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से "राजस्थान नॉलेज कोरपोरेशन लिमिटेड, 7-ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राजस्थान) भारत" पर प्रेषित करेगा। निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

- k. भविष्य में आवेदक स्वयं के लॉग इन आईडी (Login ID) एवं पासवर्ड की सहायता से वेबसाइट के माध्यम से स्वयं के आवेदन पत्र की स्थिति जान सकेगा एवं प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकेगा।

9) चयन प्रक्रिया :- राज्य सरकार द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार कनिष्ठ अभियंता (सिविल मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) के पद पर चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर किया जायेगा। मेरिट लिस्ट हेतु निम्न मापदंड निर्धारित किये गए हैं

- कुल 100 अंक

- शैक्षणिक अहर्ता (3 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में प्राप्तांक के आधार पर) - 80 अंक
- स्नातकोत्तर (M.E./M.Tech. or Equivalent) - 10 अंक
- राजस्थान का मूल निवासी या राजस्थान के शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण (अहर्ता योग्यता)- 5 अंक
- अनुभव (किसी भी सरकारी कंपनी का, एक अंक प्रत्येक वर्ष के अनुभव के आधार पर)- अधिकतम 5 अंक

विशेष:

- अ) डिप्लोमा, डिग्री एवं स्नातकोत्तर के प्राप्तांक (Percentage) ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करते समय 2 दशमलव तक सही दर्ज करें जैसे कि 75.77, 77.89, इत्यादि |
- आ) अगर आपकी यूनिवर्सिटी/संस्थान द्वारा अंकों के स्थान पर CGPA सिस्टम है तो कृपया 1 से 10 की स्केल पर अपने CGPA अंक दर्ज करें | उदाहरण के लिए 6.70, 8.80 इत्यादि | मेरिट लिस्ट हेतु विभाग द्वारा CGPA पॉइंट को Percentage में परिवर्तित करने के लिए उचित फार्मूला अपनाया जायेगा |

मूल दस्तावेज सत्यापन:-

ऑनलाइन भरे गए विवरण जैसे कि शैक्षणिक अहर्ता के अंक, अनुभव, वर्ग इत्यादि को बाद में बदला नहीं जा सकेगा | किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा | मेरिट लिस्ट/कट ऑफ लिस्ट हेतु आवेदक द्वारा दी गयी ऑनलाइन जानकारी अनुसार बनाई जाएगी | मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु रिक्त पदों के 3 गुना आवेदकों को निश्चित तिथि पर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा जिसकी सूचना यथासमय दे दी जाएगी | मूल दस्तावेज सत्यापन के समय जिस भी अभ्यर्थी की मूल जानकारी (अंक, अनुभव, वर्ग इत्यादि) एवं ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी जानकारी में भिन्नता होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा | दस्तावेज सत्यापन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी |

- 1) सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो
- 2) उपाधि का प्रमाण पत्र एवं अंतिम वर्ष की अंकतालिका सहित प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अंक तालिका
- 3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य-अनुभव प्रमाण पत्र, (यदि कोई हो तो)
- 4) दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का छः माह की अवधि में दिया गया मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आवेदक को गत तीन वर्षों से परिचित हो और उसके रिश्तेदार नहीं हो
- 5) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
- 6) राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत् जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
- 7) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग अभ्यर्थियों हेतु)
- 8) विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
- 9) विधवा होने की दशा में पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र

10) विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा होने की दशा में विच्छिन्न विवाह/तलाक का सबूत/प्रमाण

विशेष :-

- उपरोक्त चयन प्रक्रिया में आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा बदलाव किये जा सकते हैं।
- ऐसे आवेदकों को **जिनका आवेदन किसी कारणवश निरस्त हो**, उनके द्वारा जमा कराया गया आवेदन शुल्क प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जायेगा ।
- किसी तरह की कठिनाई/पूछताछ हेतु आवेदक हेल्पलाइन नम्बर 0141-5159700 पर सम्पर्क करें ।
- भर्ती हेतु विकसित वेबसाइट <http://oasis.rkcl.in/dlb> पर उपलब्ध सूचना से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
- भर्ती प्रक्रिया में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
- उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदक को यात्रा भत्ता अथवा किसी व्यय का पुनर्भरण इत्यादि देय नहीं होगा।
- नियुक्ति के समय परीवीक्षाकाल हेतु आवेदक को निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध/अण्डरटेकिंग पत्र भरना होगा।
- राज्य सरकार द्वारा प्रावधित अधिनियम, नियम, निर्देश, आदेश एवं शर्तों के अधीन यह चयन एवं नियुक्ति होगी। नियुक्ति के समय मूल दस्तावेजों से मिलान कर सत्यापन किया जावेगा एवं चिकित्सक प्रमाण पत्र तथा पुलिस से सत्यापन के अध्यक्षीन नियुक्तियां होंगी।
- नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद इसमें निर्धारित अवधि में कार्य भार सम्भालना होगा तथा इस अवधि के बाद यह नियुक्ति आदेश बिना किसी सूचना के स्वतः निरस्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार यह अवधि बढ़ा सकेगी तथा राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
- कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) के पद पर चयन प्रक्रिया हेतु यात्रा भत्ता अथवा किसी व्यय का पुनर्भरण इत्यादि देय नहीं होगा।
- चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् देय नियत मानदेय का भुगतान उस नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा, जहाँ उसे नियुक्त किया जावेगा।
- उक्त रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन/ स्थानान्तरण राज्य के किसी भी नगर निकाय में किया जा सकेगा।

निदेशक

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर